5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

60

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R 4219 /2016

1— प्रहलाददास पिता कांतिलाल अग्रवाल उम्र 52 वर्ष
धंधा व्यापारी निवासी त्रिमूर्ति नगर धार जिला धार

2— कांति पैलेस गार्डन द्वारा प्रोपरायटर :—
प्रहलाददास पिता कांतिलाल अग्रवाल
निवासी त्रिमूर्ति नगर धार जिला धार .....निगरानीकर्ता

श्री ..... द्वारा आज दि. 15.12.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 15.12.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी धार

.....विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंता विनम्रता से अर्ज है कि धार शहर नगर पालिका क्षेत्र में निगरानीकर्ता की विधिवत ग्राम मगजपुरा तहसील व जिला धार में स्थित विधिवत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि सर्वे नंबर 41/3/2 पैकि रकबा 0.186 हैक्टर व सर्वे नंबर 41/4/3 पैकि रकबा 0.093 हैक्टर व सर्वे नंबर 41/4 पैकि रकबा 0.126 हैक्टर पर व्यवसायिक कार्य रहा है एक अरसे कर रहा है बरसो से कर रहा है। उक्त भूमि पर विधिक रूप से सर्व अनुमति प्राप्त कर कांति पैलेस मेरिज गार्डन के रूप में व्यवसाय का संचालन करता है, जिसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी धार, तहसील धार व नगर पालिका धार को भी है किसी प्रकार का कोई विरोध नही रहा है न रहने का प्रश्न है कुछ राजनितिक दबाव के कारण अनुविभागीय अधिकारी धार ने सूचना पत्र क्रमांक 3514/रीडर/2016 में यथाकथित सूचना आदि का उल्लेख कर नोटिस दिया है जो विचाराधिकार रहित है अवैध है जबकि उनके यहां पूर्व से दस्तावेजी प्रमाण मोजुद है। सभी विधिक को बिना सूचना के वे बिना साक्ष्य लिये बिना किसी प्रकार के प्रमाण के विचाराधिकार रहित तौर पर कार्यवाही प्रारंभ कर रहे है जो विचाराधिकार रहित है। नकल बाबद अर्जी दी है जिस पर से नकल में मिसल भेजी नही है असल प्रपत्र पेश है दिनांक 19.09.2016 का है और प्रकरण में बिना कुट्ट परीक्षण का मौका दिये यथाकथित मिसल में बिना सभी दस्तावेजो की कापियां दिये मनमाने तौर पर प्रकरण में दिनांक 08.12.2016 को जिसकी प्रोसिडिंग की नकल

हमने मांगी है नही दी व प्रकरण क्रमांक 63/2015–16/बी–121 में अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार ने दिनांक 08.12.2016 को जबकि हमने उन्हे अर्जी दी कि वे यथाकथित विपक्षी पक्ष कोई प्रमाण दे तो हमे कुट परीक्षण का मौका दिया जावे हम कुट परीक्षण करेगे हम प्रमाण देगे ओरल व दस्तावेजी प्रमाण देगे व पूर्व में डायवर्जन आदि की कार्यवाही हुई है तो उसके प्रमाण देगे हमने रजिस्टर्ड डिड व परमिशन आदि की नकले पेश की है। नगर पालिका में हमसे टेक्स लिया जाता है उसकी भी रसीदे हमने दी है और हमारे वडिल स्व. कांतिलाल अग्रवाल होकर मैं उनका वारीस हूं पूर्व के तत्समय के प्रपत्र स्व. कांतिलाल अग्रवाल के समय हुई कार्यवाही की नकले इस निगरानी के साथ पेश है ऐसी दशा में नकल से मुक्ति मिलकर यथाकथित कार्यवाही जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगर क्षेत्र धार ने प्रकरण क्रमांक 63/2015–16/बी–121 में नोटिस व आज्ञा दिनांक 08.12.2016 व दिनांक 13.12.2016 को दी है उक्त आज्ञा बिना विधिक सुनवाई के बिना प्रमाण लिये बिना फरियादी के कुट परीक्षण का मौका दिये आधार कार्यवाही की नकले दिये बिना ताबडतोब में अंतिम निर्णय के लिए प्रकरण रख दिया है जबकि ये सारी कार्यवाही विचाराधिकार रहित होकर जिसे अपास्ति बाबद निगरानी में लेकर अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर मूल कार्यवाही का प्रारंभ व बिना सुनवाई के यकायक दिनांक 08.12.2016 व दिनांक 13.12.2016 को बिना युक्तियुक्त सुनवाई का मौका दिये आदेश के लिए प्रकरण रख दिया जो विधिक नही है बिना सुनवाई के है नेचुरल जस्टिस के विपरीत है अतः निगरानी में लेकर अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर कानून सम्मत सादर प्रस्तुत है :–

:: आधार निगरानी ::

1– यह कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व धार ने एक मुतफरिक कार्यवाही बिना विधिक आधार के सूचना पत्र दिया है जो यकायक होकर विधि विरूद्ध है अपास्त होना अर्ज है।

2– यह कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व धार के यहां उनके अधिनस्थो के यहां उनके स्वयं के यहां उक्त भूमि के संबंध में राजस्व प्रकरण क्रमांक 09/2003–04 दिनांक 23.07.2004 का है जो विधिवत कायम हैं उक्त ग्राम मगजपुरा में नगर पालिका का टेक्स भी लिया जाता रहा है इंद्राज है हमारे वडिल स्व. कांतिलाल होकर उनकी मृत्यु अभी हाल में ही हुई है कुछ दिन पूर्व ही हुई है अतः उनके नाम के लाभ व उनके हक में हुई कार्यवाही का लाभ विधि से मुझे है वे सब प्रपत्र पेश है जिनकी जानकारी समय–समय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4219-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	